



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

05 चैत्र, 1943 (श०)

संख्या- 240 राँची, शुक्रवार,

26 मार्च, 2021 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

03 मार्च, 2021 ई०।

संख्या:- 11/बंदी विविध-07/2019- 1291 -- बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची में संसीमित आजीवन कारावास की सजा प्राप्त निम्नांकित बंदियों को झारखण्ड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्वद की दिनांक-04.12.2020 एवं 25.02.2021 को आहूत बैठक की कार्यवाही में की गई अनुशंसा के आलोक में आवश्यक समीक्षोपरांत राज्य सरकार द्वारा कारा से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र०	सजावार बंदी का नाम, पिता का नाम एवं उम्र	पूरा पता	सत्रवाद सं. एवं धारा
1	2	3	4
1.	महेश लोहरा, पे.- स्व० सहदेव लोहरा, उम्र-73 वर्ष लगभग।	ग्राम- धनकारा, थाना- लातेहार, जिला-लातेहार।	सत्रवाद सं.-84/2005, जी. आर. सं.- 21/2005, लातेहार थाना काण्ड संख्या- 05/2005 धारा-302 भा.द.वि. एवं 3/4 Witch Prohibiton (Practices) Act.
2.	महावीर भगत, पे.- स्व. एतवा भगत, उम्र-64 वर्ष लगभग।	ग्राम-मेन्तगढ़ा, थाना-सेन्हा, जिला-लोहरदगा।	सत्रवाद संख्या- 48/03, जी.आर.-77/03, सेन्हा थाना काण्ड संख्या- 10/03, धारा-148, 307/149, 302/34 भा.द.वि.
3.	जुबैल सबैयाँ, पे. स्व० सिदयू सबैयाँ, उम्र-50 वर्ष लगभग।	ग्राम-कन्दराबेड़ा, थाना-चांडील, जिला-सरायकेला-खरसावाँ।	सत्रवाद संख्या- 90/04, जी०आर०- 380/04, चांडील थाना काण्ड संख्या- 66/04, धारा-302 भा.द.वि.
4.	कृष्णा उराँव, पे.- लीवा उराँव, उम्र- 44 वर्ष लगभग।	ग्राम- फुलवा टोली, थाना- गुमला, जिला-गुमला।	सत्रवाद संख्या-245/03, जी.आर.-285/02, गुमला थाना काण्ड संख्या- 87/02, धारा-302/34, 307, 324, 352 भा.द.वि.,
5.	गुंजूर हाँसदा, पे. पोरेश हाँसदा, उम्र-38 वर्ष लगभग।	ग्राम-हतनाबुरू, थाना-गुआ, जिला-पश्चिमी सिंहभूम।	सत्रवाद संख्या-194/05 जी०आर०-172/05 गुआ थाना काण्ड संख्या- 18/05, धारा-302, 379, 201 भा.द.वि.

2. उपरोक्त सभी बंदियों को कारामुक्ति के पूर्व संलग्न शपथपत्र भरना अनिवार्य होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतीश कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।
